

2008 पैकेट अंग्रेजी शराब कुल 361.44 लीटर बरामद, घटना में प्रयुक्त 02 चारपहिया वाहन के साथ 05

शातिर शराब तस्क़र गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मरु श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि के पर्येक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 29.01.2025 को एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना हलधरपुर की संयुक्त टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चकरा मोड़ पहसा के पास से 05 शातिर शराब तस्क़र प्रवीण कुमार पासवान उर्फ डब्लू पुत्र छडू पासवान निवासी रामपुर थाना दोकटी, नरेन्द्र दुबे पुत्र स्व0 कन्हैया दुबे निवासी ग्राम रामपुर थाना दोकटी, अजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 गोपाल जी जायसवाल निवासी वार्ड न0 24 चमन सिंह बाग रोड़ थाना कोतवाली जनपद बलिया, राजा कुमार पुत्र विन्देश्वर राय निवानी ग्राम महुआ थाना महुआ जनपद वैशाली राज्य बिहार, नवीन सिंह पुत्र राम सिंघासन सिंह निवासी रूद्रपुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया के कब्जे से 2008 पैकेट अंग्रेजी शराब कुल 361.44 लीटर तथा घटना में प्रयुक्त 02 अदद चारपहिया वाहन (बोलेरो व पीकअप) बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस व 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद 02 चारपहिया वाहनो को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-

1. प्रवीण कुमार पासवान उर्फ डब्लू पुत्र छडू पासवान निवासी रामपुर थाना दोकटी जनपद बलिया।
2. नरेन्द्र दुबे पुत्र स्व0 कन्हैया दुबे निवासी ग्राम रामपुर थाना दोकटी जनपद बलिया।
3. अजय कुमार जायसवाल पुत्र स्व0 गोपाल जी जायसवाल निवासी वार्ड न0 24 चमन सिंह बाग रोड़ थाना कोतवाली जनपद बलिया।
4. राजा कुमार पुत्र विन्देश्वर राय निवानी ग्राम महुआ थाना महुआ जनपद वैशाली राज्य बिहार।
5. नवीन सिंह पुत्र राम सिंघासन सिंह निवासी रूद्रपुर थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी-

1. 2008 पैकेट अंग्रेजी शराब कुल 361.44 लीटर।
2. 02 अदद चारपहिया वाहन (बोलेरो व पीकअप)।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

थाना टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना हलधरपुर श्री जगदीश प्रसाद विश्वकर्मा, उ0नि0 अजय कुमार सिंह, का0 संतलाल, का0 दीपक यादव, का0 अरविन्द यादव, चा0 का0 शिशिर सिंह, का0 संतोष पटेल थाना हलधरपुर जनपद मरु।

एसओजी/स्वाट/सर्विलांस टीम-

प्रभारी उ0नि0 श्री प्रमोद सिंह, हे0का0 सुशील कुमार यादव, हे0का0 नीरज शर्मा, हे0का0 राकेश यादव, का0 कमलेश ठाकुर. का0 बृजेश मौर्या, का0 अश्वनी कुमार गौड़, चा0 का0 विराट पटेल, हे0का0 लायक हुसैन, का0 अजय कुमार यादव, का0 अविनाश धर दूबे, का0 अनुदेश दत्त बनौधा, का0 ऋषभ द्विवेदी, का0 ज्ञानेन्द्र पाण्डेय, चा0 हे0का0 बब्बन सिंह चौहान।

अपराधिक इतिहास-

अभियुक्त नरेन्द्र दुबे-

1. मु0अ0सं0 0108/2010 धारा 147.148.308.326.342.394.504.506 भा0द0वि0 थाना दोकटी जनपद बलिया।

अभियुक्त अजय कुमार जायसवाल-

1. मु0अ0सं0 0192/2023 धारा 60(1),64 आबकारी अधि0 थाना दुबहड़ जनपद बलिया।
2. मु0अ0सं0 0317/20223 धारा 60(1),63 आबकारी अधि0 थाना रेवती जनपद बलिया

वध हेतु ले जा रहे एक राशि गोवंश तथा एक चारपहिया वाहन बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 29.01.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर लक्ष्मी पुल ढाला बंधा रोड़ के पास से अभियुक्तगण मो0 सुफियान पुत्र नसीम अहमद, साहवान पुत्र मो0 फुजैल निवासीगण रामपुर बेलौली थाना रामपुर जनपद मऊ के कब्जे से एक राशि गोवंश को क्रुरता पुर्वक लादकर वध हेतु ले जा रहे एक अदद पिकअप बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 33/25 धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रुरता नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। उक्त चारपहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मो0 सुफियान पुत्र नसीम अहमद निवासी रामपुर बेलौली थाना रामपुर जनपद मऊ।
2. साहवान पुत्र मो0 फुजैल निवासीगण रामपुर बेलौली थाना रामपुर जनपद मऊ।